न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 021/2021

राकेश कुमार पुत्र दलीप जाति कुम्हार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. दलीप पुत्र बेगाराम जाति कुम्हार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. मन्जू पुत्री दलीप पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार साकिन 32 एमओडी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगागनर राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संदीप कुमार सैन — प्रार्थी
2. श्री मदन गोपाल मेहरड़ा — अप्रार्थी सं. 1 व 2
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। — अप्रार्थी सं. 3

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 16/08/2024

प्रार्थना पत्र द्वारा अधिवक्ता श्री संदीप सैन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से है– कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1, 2 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शासित होते है। जिसका सजरा खानदान प्रस्तुत है।

तहसील पीलीबंगा के चक 23 पीबीएन के खाता सं. 53/49 के प.नं. 8/345 (78) किला नं. 21/1/.046, 25/3/.020 की 0.066 हैक., प.नं. 8/346 (82) किला नं. 3, 8, 13, 14/1/072, 17, 18 की 1.337 हैक. कुल 1.4030 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में अप्रार्थी सं.1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। जो अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के दादा बेगाराम से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी सं.1 में राजस्व कर्मीयो से मिलीभगत कर उक्त भूमि प्रार्थी के दादा बेगाराम से अपने नाम दर्ज करवा ली। जो प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है। प्रार्थी को प्राप्त होने वाली कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का हकदार है।

अप्रार्थी सं.1 जो शराबी कवाबी किस्म का व्यक्ति है व अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को अजनबी व्यक्तियों को औने पौने दामो में विक्रय करने पर आमाद है। अप्रार्थीया सं.2 जो प्रार्थी की सगी बहन है वह भी इस भूमि को बेचान करने के लिये अप्रार्थी सं.1 पर नाजायब दबाब बना रही है। अप्रार्थी सं.1 पूर्व में अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में से 0.156 हैक. भूमि का बेचान कर चुका है तथा शेष रही कृषि भूमि को बेचान करने पर आमादा है। यदि वे अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना असम्भव होगा व प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि से महरूम हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी विरुद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.22 12:15:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि अप्रार्थी सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि सं.1 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 पीबीएन के खाता 53/49 के प.नं. 8/345 (78) किला नं. 21/1/.046, 25/3/.020 की 0.066 हैक., नं. 8/346 (82) किला नं. 3, 8, 13, 14/1/072, 17, 18 की 1.337 हैक. की 1.4030 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी कृषि भूमि को बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रथम दृटष्या मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीग्ण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया गया कि चक 23 पीबीएन के खाता 53/49 के प.नं. 8/345 (78) किला नं. 21/1/.046, 25/3/.020 की 0.066 हैक., नं. 8/346 (82) किला नं. 3, 8, 13, 14/1/072, 17, 18 की 1.337 हैक. की 1.4030 हैक. नहरी अनकमांड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी कृषि भूमि को बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से श्री मदनगोपाल मेहरडा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया शामिल वाद पत्र है। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया संक्षिप्त तथ्या इस प्रकार से है कि उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी नं. 1 व 2 की ओर से जवाब 1. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। वादी/ प्रार्थी का प्रस्तुत दावा में प्रार्थी की कोई कामयाब नही होगी ।परिवार के सदस्य नही है प्रार्थी का अप्रार्थी नं. 1 व 2 से अलग निवास है। जहां प्रार्थी अपने अलग 2. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 आशिंक अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्यों के साथ रहता है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज होने से स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थी ने तमाम तथ्य झूठे व निराधार व नं. 1 का पिता बेगाराम वल्द उमाराम जाति कुम्हार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा की मृत्यु मनगडत एवं विधि विरूद्ध वर्णित किये है प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी पश्चात अप्रार्थी नं. 1 को विरास्त में प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी ने बिना किसी अधार के अपने प्रार्थना पत्र मिथ्य कथन किये है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि को पैतृक का कथन मिथ्य वर्णित किये है। जबकि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में यानि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 23 पी बी एन का पन 8/345 कि. न. 20/.050, 21/1/.046, 25/126 व प.न. 8/346 कि.न.13/253, 14/1/. 075, 17/253, 18/253 कि कुल 1.056 हैक. नहरी, अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी नं. 1 का पिता यानि विक्रेता बेगाराम वल्द उमाराम जाति कुम्हार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा से उक्त 1.056 हैक. कृषि भूमि की कीमत बिलमुक्ता ९०,०००/– अखरे नब्बे हजार रूपये अदा कर जरिये पंजियन शुद्धा बैयनामा जो उप पजियक पीलीबंगा का पजियंन शुद्धा बैयनामा है के मुझ अप्रार्थी ने खरीद की है। जो कि बैयनामा की दिनांक 08.4.2003 से मुझ अप्रार्थी नं. 1 के अकेले के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो मुझ अप्रार्थी नं. 1 की स्वयं खरीदशुदा एवं स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि नही है। जिसमें से मुझ अप्रार्थी नं. 1 के जीवनकाल में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 या अन्य किसी व्यक्ति का मुताबिक हिन्दु विधि कोई हक व हिस्सा नही बनता है। एवं प्रार्थना पत्र की दफा 3 में यानि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा का चक 23 पी बी एन का पन 8/346 कि.न. 3/253, 8/253 कि कुल .506 हैक. अनकमाण्ड कृषि भूमि मुझ अप्रार्थी नं. 1 का पिता यानि विक्रेता बेगाराम वल्द उमाराम जाति कुम्हार साकिन रामपुरा तहसील पीलीबंगा से उक्त .506 हैक, कृषि भूमि की कीमत बिलमुक्ता 20,000/– अखरे बीस हजार रूपये अदा कर जरिये पंजियन शुद्धा बैयनामा जो उप पंजियक पीलीबंगा का पंजियन शुद्धा बैयनामा है के अप्रार्थी ने खरीद की है। जो कि बैयनामा की दिनांक ,12.12.1995 से मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.22 12:15:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थी न. अकेले के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो मुझ अप्रार्थी नं. 1 की स्वयं खरीदशुदा में स्वयं अर्जित कृषि भूमि है। जो प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि नही है। जिसमें से 1 के अप्रार्थी नं. 1 के जीवनकाल में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 या अन्य किसी व्यक्ति का मुताबिक हिन्दु विधि कोई हक व हिस्सा नही बनता है। उक्त कृषि भूमि को न्यायालय के समक्ष झुठे कथन कर व पैतृक कृषि भूमि दर्शाकर प्रार्थी ने दाण्डिक अपराध किया है। जिसे मुझ अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज करवाने का कानूनन हकदार है।

प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित अनुसार उक्त कुल 1.4030 हैक कृषि भूमि पर मुझ अप्रार्थी नं. 1 अकेला काबिज काश्त है। जिसका मुझ अप्रार्थी नं. 1 पूर्ण स्वामी है जिसे रहन बैय करने का व अन्य तरीके से अन्तरण का मुझ अप्रार्थी नं. 1 को पूर्ण अधिकार है जिसमें से मुझ अप्रार्थी न. 1 के जीवनकाल में प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 व अन्य किसी व्यक्ति का जन्म से या अन्य किसी प्रकार से मुताबिक हिन्दू विधि कोई हक व हिस्सा नही बनाता है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि नही है प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला व अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन का मामला नही बनाता है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नही है। मुझ प्रविप्रार्थी नं. 1 कतई सराबी कबाबी किस्म का व्यक्ति नही है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत कथन कर मुझ अप्रार्थी नं. 1 की मानहानि की है जिसके लिए मुझ अप्रार्थी नं. 1 प्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का हकदार है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ कोई वाद कारण हासिल नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे

प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। प्रार्थी कानूनन यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश करने का हकदार नही है। इसलिए अप्रार्थी नं. 3 प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार नही है।

प्रार्थना पत्र कि दफा 8 अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित अनुसार उक्त कृषि भूमि जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की दफा 3 वर्णित है मुताबिक पंजियन शुद्धा बैयनामो के मुझ अप्रार्थी नं. 1 की खरीद शुद्धा व काब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसके बैयनामो की प्रतिया अप्रार्थी नं. 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है मुझ अप्रार्थी नं. 1 के पक्ष में खरीद शुद्धा उक्त कृषि भूमि के बैयनामे के कायम रहते हुऐ श्री मान जी के न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नही है।

अतः उपरोक्त अनुसार प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। श्री मान जी कि अति कृपा होगी।

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण 3 वर्ष से लम्बित है हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है दिनांक 23.02.2021 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 23.02.2021 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.22 12:15:16 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा